न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(चिन्मयी गोपाल,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 144 / 2016
प्रविष्टि दिनांक 26.09.2016

पांचूलाल पि.मु.रूधनाथ जाति माली निवासी अलीगढ तहसील उनियारा जिला टोंक राज0
—अपीलान्ट

बनाम

1—तहसीलदार उनियारा जिला टोंक
2—रामजानकी पुत्री रूधनाथ जाति माली निवासी अलीगढ तहसील उनियारा जिला टोंक राज0

—रेस्पोडेण्ट्स

अपील विरूद्व नामान्तरकरण संख्या 131 दिनांक 19.08.1993 वाके ग्राम अलीगढ तहसीलदार उनियारा

उपस्थिति —(1) श्री सेतराम चौधरी, अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री रामप्रसाद कुमावत, नायब तहसीलदार राजकीय पेरोकार

निर्णय **दिनांक 30.01.2023**

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि तहसीलदार उनियारा द्वारा दिनांक 19.08.1993 को मृतक खातेदार रूधनाथ पुत्र सुखा जाति माली निवासी अलीगढ तहसील उनियारा की विरासत का नामान्तरकरण सं0 131 दिनांक 19.08.1993 सें तस्दीक किया गया था,जिसमें मृतक रूधनाथ के पुत्र के रूप मे पांचूलालू (अपीलांट) का नाम अंकित नही करते हुए तस्दीक कर दिया जो विधि विधान एंव तथ्यों के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट्स जरिए नोटिस की गई। विवादित नामान्तरकरण की मूल प्रति मंगवाई गई। रेस्पो. संख्या—2 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही की गई तथा प्रकरण में अभिभाषक अपीलांट राजकीय पेरोकार की बहस सुनी गई।

अपीलांट के अभिभाषक ने अपनी बहस मे अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोंडेट सं. 1 ने मृतक रूघनाथ पुत्र सूखा माली की मृत्यु होने पर उसकी विरासत का नामांतरण सं. 131 दिनांक 19.08.1993 को मृतक की खातेदारी की जमीन का अकेले रेस्पोडेंट सं. 2 के पक्ष मे स्वीकार किया गया है। उक्त नामांतरण तस्दीक किये जाने से पूर्व मे तहसीलदार उनियारा व उसके अधीनस्थ कर्मचारीयो द्वारा

न्यायालय जिला कलेक्टर सत्यमेव जयते टोंक (राजस्थान)

जिला कलेक्टर
टोंक

अपीलांट को कोई सूचना नही दी गई तथा ना ही अपीलांट को सुना गया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो के विरूद्ध है। अपीलांट मृतक रूघनाथ का गोद का पुत्र है,जिसने अपने जीवनकाल मे अपीलांट को गोद ले लिया था तथा अपीलांट को गोद लेकर एक गोदनामा मय दो अनुप्रमाणित साक्ष्यो की उपस्थिति मे उप–पंजीयक उनियारा के कार्यालय में दिनांक 24.12.1991 को पंजीकृत करवाया था, जिस गोदनामे का पंजीकरण उप–पंजीयक उनियारा मे दिनांक 24.12.1991 को पुस्तक सं. 4, जिल्द सं. 4 के पृष्ठ स. 280 के क्रम सं. 12/91 पर किया गया था, इस प्रकार अपीलांट मृतक रूघनाथ का गोद का पुत्र है,जो मृतक द्वारा छोड़ी गई कृषि भूमि पर 1/2 हिस्से पर काबिज होकर खातेदार, काश्तकार है,परन्तु तहसीलदार उनियारा ने उक्त नामांतरण को तस्दीक करने से पूर्व इस तथ्य पर कोई गौर नही किया है। मृतक रुघनाथ अपने जीवन के अन्तिम दिनो मे अपीलांट के पास ही रह रहा था तथा उसकी मृत्यु के पश्चात उसका अन्तिम संस्कार तथा पिण्डदान व मौशर इत्यादि भी अपीलांट द्वारा ही सम्पन्न किये गये थे। अपीलांट मृतक द्वारा छोड़ी गई समस्त कृषि भूमि पर अपने 1/2 हिस्से पर उसकी मृत्यु के पश्चात से ही निरंतर निर्बाद रूप से काबिज है,परन्तु तहसीलदार उनियारा ने रेस्पोडेंट सं. 2 से साझ करके षडयंत्र रचकर भ्रष्टतापूर्वक पंजीकृत गोदनामे को अनदेखा करके विवादित नामांतरण स्वीकार कर लिया है। पंजीकृत गोदनामा आज भी अस्तिव में है,इसको किसी भी पक्षकार या रेस्पाडेंट सं. 2 ने किसी भी न्यायालय में कोई भी चुनौती नही दी है तथा ना ही इसकी चुनौती को लेकर किसी न्यायालय मे कोई कार्यवाही लम्बित है। अपीलांट मृतक का जायईन्दा पुत्र है,जो उसके द्वारा छोडी गई सम्पत्ति मे रेस्पोंडेंट सं. 2 के साथ–साथ बराबर का हक व हिस्सा रखता है। गोदनामा मृतक रूघनाथ ने अपनी स्वतंत्र सहमति व इच्छा से रूबरू गवाहन के समक्ष लिखकर पंजीकरण करवाया था जो आज भी अस्तिव मे बना हुया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर नामांतरण सं. 131 दिनांक 19.08.1993 वाके ग्राम अलीगढ तहसील उनियारा जिला टोंक को निरस्त किया जावे तथा अपीलांट को मृतक रूघनाथ द्वारा छोडी गई कृषि भूमि मे रेस्पोडेट सं. 2 के साथ–साथ 1/2 हिस्से का नामांतरण अपीलांट के पक्ष मे खोले जाने हेतु तहसीलदार उनियारा को आदेशित किया जाना न्यायोचित है।

पेरोकार सरकार ने जवाबी बहस में तहसीलदार उनियारा द्वारा पारित आदेश को मृतक(रूधनाथ)के नाम की हद तक निरस्त कर अपीलांट के दस्तावेजात (रजिस्टर्ड–गोदनामा) की जांच कर एंव पक्षकारान की सुनवाई करने हेतु प्रकरण को रिमाण्ड किये जाने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एंव पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। नामान्तरकरण संख्या 131 दिनांक 19.08.1993 वाके ग्राम अलीगढ तहसील उनियारा में रूधनाथ पुत्र सुखा जाति माली सा. देह खातेदार की मृत्यु होने से विरासत का नामान्तरकरण रूधनाथ के वारिसान रामजानकी पुत्री रूधनाथ माली शेष अकंन जमाबंदी बदस्तूर सा.देह खातेदार के नाम स्वीकार किया गया है।

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर
टोंक

अभिभाषक अपीलांट का कथन है कि नामांतरण तस्दीक किये जाने से पूर्व तहसीलदार उनियारा द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर नही दिया गया है और पंजीकृत गोदनामा आज भी अस्तिव में है,इसको किसी भी पक्षकार या रेस्पाडेंट सं. 2 ने किसी भी न्यायालय में कोई भी चुनौती नही दी है । अपीलांट के कथन पर परोकार सरकार ने अपीलांट के दस्तावेजात (रजिस्टर्ड–गोदनामा) की जांच कर एंव पक्षकारान की सुनवाई करने हेतु प्रकरण को रिमाण्ड किये जाने का निवेदन किया। उपरोक्त विवेचन से तहसीलदार उनियारा द्वारा पारित आदेश को निरस्त कर प्रकरण रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 131 दिनांक 19.08.1993 वाके ग्राम अलीगढ तहसील उनियारा मृतक (रूधनाथ) के नाम की हद तक निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार उनियारा को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित (Remand) किया जाता है कि पक्षकारों की विधिवत सुनवाई कर,दस्तावेजात (रजिस्टर्ड गोदनामा) की जांच कर पुनः नियमानुसार निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 30.01.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चिन्मयी गोपाल)
जिला कलेक्टर, टोंक
जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान) सत्यमेव जयते